राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(46) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-I/GoI-1/2017–18 जयपुर, दिनांक 22 फरवरी, 2018

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की स्थाई वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की पहचान कर शामिल किये जाने के कम में।

प्रसंग :– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No. J-11060/16/2017-RH-(M&T) dated 24.01.18 एवं विभागीय पत्र दिनांक 11.5.16

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) के कियान्वयन का फ्रेमवर्क के अनुबंध–1 में योजना की पात्रता हेतु स्थाई वरीयता सूची में जोडे जाने के मापदण्ड वर्णित है। उक्त सम्बन्ध में ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रासंगिक पत्र दिनांक 24.1.2018 (संलग्न) द्वारा उक्त कार्य सम्पादन में समान मापदण्ड की पालना बाबत् निम्नानुसार प्रकिया निर्धारित की है :–

राज्य द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत पात्र परिवारों (Households) की पहचान किये जाने में निम्न प्रकिया की सुनिश्चिता की जावें :–

अ) SECC-2011 के आंकडों के अनुसार परिवार आवासहीन, 0, 1 या 2 कमरा कच्ची दीवार एवं कच्ची छत के आवासधारी होना चाहिए।

ब) परिवार की पात्रता निर्धारण हेतु कियान्वयन का फेमर्वक के अनुबन्ध–1 में वर्णित स्वतः बहिर्वेशन हेतु निर्धारित 13 पैरामीटरों में से किसी एक को भी पूरा करने वाला परिवार शामिल नहीं किया जावें अर्थात् ऐसे परिवारों को वरीयता सूची में शामिल होने हेतु पात्रता नहीं रखते है। इसी कम में अनुबंध–1 में वर्णित स्वतः अन्तर्वेशन हेतु 5 मापदण्ड निर्धारित किये गये है।

स) घास/बांस/प्लास्टिक व हाथ से निर्मित केल्हू की छत को कच्ची छत एवं इन्हीं सामग्रियों व मड/बिना पकी ईंट, लकडी व पत्थर जिसमें मोर्टार काम में नहीं लिया गया हो, को कच्चा आवास माना जावें।

उक्त संबंध में समाचार–पत्रों एवं अन्य माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराकर वंचित पात्र परिवारो के नाम जोडे जाने के सम्बन्ध में सादा कागज पर अपील/प्रार्थना–पत्र (इस बाबत् कोई भी प्रपत्र लागू नहीं है) ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् में दिनांक 08.03.2018 तक स्वीकार किये जावे। उक्त प्राप्त अपील/प्रार्थना–पत्र की प्राप्ति रसीद दावा प्रस्तुत करने वाले को अनिवार्य रूप से दी जावे।

उल्लेखनीय है कि प्रासंगिक विभागीय पत्र दिनांक 11.5.2016 द्वारा योजनान्तर्गत SECC-2011 डाटा के आधार पर आयोजित ग्राम सभाओं से अनुमोदित सूची पर आपतियां प्राप्त की गई, जिनमें ऐसे लाभार्थी जिनका नाम SECC-2011 सूची में नहीं है लेकिन लाभार्थी अपने आप को पात्र मानकर अपील कर रहा है से भी अपील प्राप्त कर अंतिम वरीयता सूची

में सम्मिलित करने के संबंध में अग्रिम मार्गदर्शन प्राप्त होने तक पृथक से सूची तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था। ऐसी 1482668 अपीले जिला स्तर पर सूचीबद्ध है। उक्तानुसार सूचीबद्ध 1482668 अपीले, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज नाम जुडवाने के प्रकरण सहित दिनांक 08.03.2018 तक ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला स्तर पर प्राप्त अपीलो को ग्राम पंचायतवार सूचीबद्ध कर ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कराया जावे।

उक्त संबंध में सभी ग्राम पंचायतो की दिनांक 08.03.2018 से 12.03.2018 तक ग्राम सभा आयोजित कराकर उक्तानुसार सूचीबद्ध अपीलों को ग्राम सभा में रख कर निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जावे :–

1. पात्र परिवारो का चिन्हीकरण ग्राम सभा द्वारा किया जावेगा।
2. ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण में यह स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि " प्रत्येक लाभार्थी को शामिल किये जाने के कारणों में योजना के कियान्वयन फ्रेमवर्क अनुसार पात्रता हेतु निर्धारित मापदण्डों का पालन कर लिया गया है। ग्राम सभा के कार्यवाही विवरण में अनिवार्य रूप से प्रत्येक पात्र परिवार के मुखिया जिसको आवास अनुमोदन आवंटित किया जाना है, का ही नाम का भी उल्लेख किया गया है, अंकित किया जावे।
3. ऐसे परिवार जिनका नाम SECC-2011 सूची के आधार पर तैयार सूची में है लेकिन ग्राम सभा द्वारा काट दिया गया था अथवा ऐसे परिवार जिनका नाम SECC-2011 सूची में नहीं है, दोनो प्रकार की प्राप्त अपील पर ग्राम सभा द्वारा अपात्र /पात्र घोषित किये जाने वाले परिवारो का भी अपात्र / पात्र होने के कारण सहित उल्लेख ग्राम सभा कार्यवाही विवरण में अंकित किया जावे।
4. ग्राम सभा द्वारा तैयार की गई पात्रताधारियों की सूची को ब्लॉक स्तरीय प्राधिकृत समिति को प्रस्तुत किया जावे। उक्तानुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत की गई, सूची अनुसार दावा/प्रार्थना–पत्र की जांच की जावे।

उक्त संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वर्तमान निवास एवं लाभार्थी द्वारा पक्के मकान के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल हेतु वर्तमान निवास /अन्य स्वामित्व भूमि की जीओ टैग फोटो अपलोड किये जाने का प्रावधान है।

इस कम में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मोबाईल एप्लीकेशन एवं वेबबेस्ड एप्लिकेशन, एन.आई.सी. के सहयोग से तैयार की जा रही है। इस हेतु मंत्रालय द्वारा आवाससॉफ्ट पर जीओ टैगिंग, ग्रामसभा कार्यवाही विवरण अपलोड करने हेतु अलग से मोड्यूल तैयार किया जा रहा है। संयुक्त सचिव, आवास ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उक्त संबंध में आयोजित विडियो कोन्फ्रेसिंग दिनांक 13.2.18 में दिये गये निर्देशो के कम में संलग्न प्रारूप में उक्त प्रकिया अनुसार पात्र परिवारो की संकलित सूचना सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की " आवास एप लाईट" मोबाईल ऐप से जियों टेग फोटो एवं संकलित सूचना वेबबेस्ड एपलिकेशन पर अपलोड कराई जावे।

उक्तानुसार ग्राम सभा से अनुमोदित सूची एवं पात्र परिवारो की संलग्न प्रारूप में सूचना सहित ब्लॉक स्तरीय प्राधिकृत समिति को दिनांक 12.03.2018 तक प्रस्तुत करावे।

इसी कम में ब्लॉक रतर पर उपखण्ड अधिकारी व विकास अधिकारी की एक ब्लॉक स्तरीय प्राधिकृत समिति गठित की जावे, जो उक्तानुसार प्राधिकृत समिति के रूप में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची का दिनांक 21.03.2018 तक परीक्षण कराया जावे।

उक्तानुसार परिक्षण उपरान्त पात्रताधारी परिवारो की संलग्न प्रारूप में विस्तृत सूचना सहित तैयार सूची निम्न आशय के प्रमाण पत्र के साथ कि "ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 24.01.2018 में वर्णित प्रकिया का पालन कर प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की अतिरित पात्रता सूची में नाम जोडे जाने हेतु अभिशंषा करती है" के प्रमाण पत्र के साथ अपनी अभिशंषा के साथ जिला अपीलेट कमेटी को दिनांक 21.03.2018 को प्रस्तुत करे।

उक्तानुसार ग्राम सभा से अनुमोदित ब्लॉक स्तरीय अपीलेट कमेटी के परीक्षण उपरान्त प्राप्त सूची प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण योजना अन्तर्गत जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला कियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेट समिति स्तर से परीक्षण कर निम्न आशय के प्रमाण पत्र के साथ कि "ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 24.01.2018 में वर्णित प्रकिया का पालन कर प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की अतिरित पात्रता सूची में नाम जोडे जाने हेतु अभिशंषा करती है" के प्रमाण पत्र के साथ विभाग को दिनांक 26.03.2018 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उक्तानुसार जिला कियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेट समिति की अभिशंषा के कम में राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रकिया से जोड़े जाने वाले लाभार्थियों के कम में निर्धारित प्रकिया का पालन किया किया गया है, का प्रमाण पत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को किया जाना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राज्यों द्वारा उक्त कार्यवाही उपरान्त अपलोडेड फोटो का इलेक्ट्रोनिक सत्यापन, स्पेस तकनीक द्वारा करवाया जावेगा। उक्त के साथ ही मंत्रालय द्वारा भौतिक सत्यापन भी करवाया जावेगा, जिसमें कच्चे मकान होने का सत्यापन सेक–2011 में वर्णित कच्चे मकान की परिभाषा की सामग्री छत व दीवार में उपयोग की गई है, के आधार, ग्रामसभा का निर्णय, सक्षम अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट व इच्छुक लाभार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र या अन्य कोई अपीलेट प्राधिकारी की अनुशंषा को आधार बनाया जावेगा।

उक्त वर्णित समस्त प्रकिया पूर्ण होने के उपरान्त प्रत्येक राज्य हेतु नये जोडे जाने वाले नामों की संख्या का निर्णय लिया जावेगा, जिसके उपरान्त मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी से नये जोडे गये नामों को सहायता प्रदान किये जाने का अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।

उक्तानुसार गतिविधिवार निम्नानुसार समयावधी निर्धारित की जाती है :–

क.सं.	नाम गतिविधि	निर्धारित दिनांक
1.	निर्धारित प्रारूप में अपील प्राप्त करना	08.03.2018
2.	ग्राम सभाओं का आयोजन	8 से 12 मार्च 2018 तक
3.	ब्लॉक स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त अभिशंषा के साथ सूची जिला कियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेट समिति को प्रस्तुत करना	21 मार्च 2018 तक
4.	जिला कियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेट समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त अभिशंषा के साथ सूची विभाग को प्रस्तुत करना	26 मार्च 2018 तक

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में निर्देश है कि पूर्व में जिला स्तर पर विचाराधीन अपीले एवं प्राप्त नवीन अपीलो का प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करने वाले परिवारों की पहचान व जोडे जाने की उक्त वर्णित प्रकिया की शत–प्रतिशत पालना करवाते हुए दिनांक 26.03.2018 तक पूर्ण कर राज्य को सूची प्रेषित करे, जिससे ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को राज्य स्तर से सक्षम परीक्षण/अनुमोदन उपरान्त सूची प्रेषित की जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

22.2.2018

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सहायक, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव एंव आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/ महात्मा गांधी नरेगा।
12. निजी सचिव, आयुक्त, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राजस्थान।
13. निदेशक (ग्रा.आ.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
14. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त राजस्थान ।
16. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

<u>कवल कायालय उपयाग हतु</u>

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की वरीयता सूची में नाम जोडने हेतु सर्वे प्रपत्र

ग्राम पंचायत ..... पंचायत समिति..... जिला.....
आवेदक का नाम ..... पुत्र/पत्नि श्री .....
मूल निवासी वार्ड नम्बर ..... ग्राम .....

- जॉब कार्ड संख्या .....
- राशन कार्ड नम्बर .....
- भामाशाह नम्बर (यदि हो तो) .....
- आधार कार्ड नम्बर (यदि हो तो) .....
- वोटर आई.डी. कार्ड नम्बर (यदि हो तो).....
- सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना SECC 2011 की सर्वे सूची नाम :– है या नहीं
- आवेदक के पास प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता हेतु निर्धारित निम्न 13 मापदण्डो की सुविधा की स्थिति निम्नानुसार है :–

1	मोटर साईकिल दुपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मच्छली नाव होने पर।	हां/नही
2	मेकेनाईज्ड तिपहिया/चौपहिया वाहन कृषि उपकरण होने पर।	हां/नही
3	किसान कैडिट कार्ड, कैडिट सीमा के साथ 50 हजार या उससे अधिक होने पर।	हां/नही
4	परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने पर।	हां/नही
5	परिवार के गैर कृषि उधमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने पर।	हां/नही
6	परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम रूपये 10 हजार प्रति माह होने पर।	हां/नही
7	इन्कमटैक्स देने पर।	हां/नही
8	व्यावसायिक कर देने पर।	हां/नही
9	स्वयं का रेफ्रिजरेटर होने पर।	हां/नही
10	स्वयं का लेण्डलाईन होने पर।	हां/नही
11	स्वयं 2.5 एकड या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचित उपकरण होने पर।	हां/नही
12	5 एकड या अधिक सिंचित भूमि के लिए दो या अधिक फसल मौसम होने पर	हां/नही
13	मालिक 7.5 एकड भूमि या अधिक, एक सिचाई उपकरण के साथ होने पर।	हां/नही

1. उपरोक्तानुसार 13 बिन्दुओ में से .....नम्बर की सुविधा होने से आवेदक योजना हेतु अपात्र है।
2. आवेदक के पास पक्का आवास की सुविधा है अतः अपात्र है। उक्तानुसार 13 बिन्दुओ में से आवेदक कर्ता एक भी पात्रता मापदण्ड नहीं है एवं योजनान्तर्गत निर्धारित कच्चे आवास जिसमें निर्धारित मापदण्ड अनुसार कच्चे आवास की श्रेणी में निवास कर रहा है एवं पुर्व में किसी भी आवासीय योजना के अंतर्गत लाभान्वित नहीं किया गया है। अतः प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की पात्रता के निर्धारित मापदण्ड बाबत परीक्षण उपरान्त पात्र होने से आवास लाईट ऐप हेतु आवश्यक सूचना बाबत सर्वे प्रपत्र में सूचना संलग्न कर प्रार्थी का नाम अतिरिक्त सूची में जोडे जाने की अभिशंषा करता हूँ, जिसका ग्रामीण विकास मंत्रालय की मोबाईल ऐप पर अपलोड करवा कर वर्तमान कच्चे आवास की व निर्माण स्थल की जीयो टेग फोटो अपलोड कर दी गई है।

उक्तानुसार सत्यापित किया जाता है कि वर्णित तथ्यों की जॉच की गई हैं एंव भौतिक सत्यापन के अनुसार प्रार्थी के पास वर्तमान में कोई आवास नही है/ एक कमरे का कच्चा आवास/दो कमरो का कच्चा आवास एवं पात्रता की सूची में शामिल नही किये के लिए निर्धारित 13 मापदण्डों के आधार पर इनकी जॉच करने के उपरान्त इनका नाम जोडे जाने हेतु सत्यापित कर ब्लॉक स्तरीय प्राधिकृत समिति को नाम जोडे जाने हेतु प्रस्तुत है।

<u>ग्राम सेवक पदेन सचिव</u>
<u>ग्राम पंचायत</u>

<u>ब्लॉक स्तरीय प्राधिकृत समिति की अभिशंषा</u>

जॉच पश्चात आवेदक का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण हेतु अतिरिक्त पात्रता की सूची में शामिल किये जाने / नहीं किये जाने की अभिशंषा के साथ जिला अपीलेट कमेटी को प्रस्तुत है।
यदि अपात्र है तो अपात्र होने का कारण.....

विकास अधिकारी **उपखण्ड अधिकारी**

आवेदक परिवार का आवास लाईट ऐप हेतु आवश्यक सूचना बाबत सर्वे प्रपत्र

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

Individual Particulars --> To be filled & one registration ID is generated

SN	Field Name	Type of input	Values
1	Name of the person	Text	
2	Relationship with Head	Dropdown	Codes: 1- husband; 2- Wife, 3- father; 4- father in law; 5- Mother, 6-Mother-In law, 7- son; 8- Daughter, 9- Daughter in law, 10-brother; 11-Sister; 12- Grand Son, 13- Grand daughter, 14-Other
3	Sex	Radio	1-Male, 2-Female,3-Transgender
4	Social Category	Radio	1-SC,2ST,3-Others
5	DOB	Calendar	
6	Marital Status	Radio	1=Never married 2=Currently married 3=Widowed 4=Separated 5= Divorced
7	Name of Father /Husband	Text	
8	Name of Mother	Text	
9	Mobile Number	Numeric	
10	Aadhaar (to be scanned from QR code)	Automatic	
11	Wages earned	Radio	1=Daily 2=Weekly, 3=Monthly - Salaried = (41)=PSU (42)=Govt. (43),5=Annually, 6=irregular 7=Non-Wage Earner
12	Pay income tax or Professional Tax	Yes/No	
13	Own a enterprise registered with govt	Yes/No	
14	Monthly income	Range	
15	Occupation	DropDown	1=Agriculture, 2=Horticulture, 3=Floriculture, 4=Plantation, 5=Dairy, 6=Poultory, 7=Fishery, 8=Piggery, 9=Goatery, 10=Manufacturing,
16	Literacy	Radio	1=Illiterate 2=Literate but below primary 3=Primary 4=Middle 5=Secondary 6=Higher Secondary 7=Graduate or higher
17	Disability	Yes/No with Radio	1=In seeing 2=In hearing 3=In speech 4=In movement 5=Mental Retardation 6=Mental Illness 7=Other Disability 8=Multiple Disability
18	Any critical illness	Yes/No with Radio	1. Cancer 2. Stroke 3. Heart Attack 4.Kidney Failure 5. Major Organ Transplant 6. Coma 7. Paralysis 8. Dismemberment 9.Any Other
19	Bank Account details	Optional	

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

And then fills following details as part of survey

SN	Field Name	Type of input	Values
1	House related information		
1.1	Predominant material of wall	Drop Down	
1.2	Predominant material of roof	Drop Down	
1.3	Ownership of the house	Radio	1=Owned, 2=Rented, 3=Any other
1.4	Number of Rooms	Radio	Houseless, 0,1,2,3
1.5	Latrine facility	Yes/No with Radio	1-Functional,2-Non Functional
2	Main source of household income	Drop Down	1=Cultivation; 2=Manual casual labour; 3=Part-time or full-time domestic service; 4=Foraging, rag picking; 5=Non-
3	Assets		
3.1	Landline Phone	Yes/No	
3.2	Refrigerator	Yes/No	
3.3	AC	Yes/No	
3.4	Smart Phone	Yes/No	
3.5	Motorized Vehicle which requires registration	Yes/No	
3.6	Mechanised three/four wheeler agricultural equipment	Yes/No	
3.7	Kisan Credit Card with credit of Rs. 50,000 or above	Yes/No	
3.8	Irrigation equipment (including diesel/kerosene/electric pumpset/sprinkler/Drip irrigation system, etc)	Yes/No	
4	Ownership of land other than existing house		
4.1	Total un-irrigated	Numeric	
4.2	With assured irrigation of 2 crops	Numeric	
4.3	Other irrigated land	Numeric	

- This after uploading on AwaasSoft, will be vetted by Block login and a GP wise resolution will be uploaded against each GP in order to compete the survey
- After uploading the information, AwaasSoft will de-duplicate each beneficiary information against existing data using "**intelligent algorithms**" any duplicate or fraud entries found will be shown to Block user for correction before GP resolution uploading.
- This application will be hosted separately from AwaasApp and AwaasSoft and would require dedicated infra and resources.